



POWERGRID CORPORATION OF INDIA LTD.
NORTHERN REGION-I
B-9, QUTAB INSTITUTIONAL AREA
KATWARIA SARAI, NEW DELHI
PH 26562934, FAX 26564756

Ref. No.: Power Grid/NR-I/RTI/529 / 9145

Dtd.10/01/2014

To

Shri Sobha Ram
S/o Shri Gokulanand, Village-Palogi,
Post -Pokhari, Distt. Tehri-Garwal, Uttarakhand

Subject: Your RTI Application dated 25/11/2013 under RTI Act 2005.

Dear Sir,

This has reference to your RTI application dated 25/11/2013 vide which you have sought information under Right to Information Act-2005. In this respect the point-wise information as desired by you is enclosed at Annexure-I.

Please acknowledge the receipt of the same.

Thanking you,

[Yours faithfully,

[T.C.Sarmah]

General Manager (PEM)
Designated CPIO, NR-1
POWERGRID, New Delhi

Copy to: CPIO, CC, Gurgaon: for favour of information with respect to your letter
No.13/145 dt.06.12.2013.

Not in original

Copy to: Dy. General Manager (Vig.), NR-I: for favour of information, please

Pr. file

Annexure-I

1. भारतीय विद्युत नियम 1956 क्लॉज (80) के अनुसार 765 के० वी० लाइन के लिए किसी स्थायी निर्माण से उर्ध्वतम (vertical) एवं क्षैतिज (horizontal) दूरी क्रमशः 10.35 मीटर तथा 8.6 मीटर होनी चाहिए।
2. मकान के मुआवजे का भुगतान उन भवन स्वामियों को किया जाता है जिनके मकान लाइन के प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत होते हैं। इसका स्वामित्व सत्यापन तहसील द्वारा किया जाता है। तदुपरांत लो०नि०वि० द्वारा भवन का मूल्यांकन किया जाता है। जिसे पॉवर ग्रिड द्वारा लो०नि०वि० से प्राप्त कर सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदन हेतु प्रस्तावित किया जाता है। आवश्यक अनुमोदन प्राप्त होने के बाद अनुमोदित राशि का चेक निर्गत किया जाता है। अतः उस प्रभावित मकान का स्वामित्व तहसील द्वारा किया गया है। उनके सत्यापन के आधार पर मुआवजा श्री कुंदन लाल को दिया गया है।
3. कुंदन लाल विजलवान निवासी ग्राम पलोगी पो० पोखरी को 3,31,353 रु का चेक संख्या 96136 दिनांक 20.06.2011 को पॉवर ग्रिड कोटेश्वर द्वारा प्रदान किया गया है।
4. प्रश्न सं० 4 का उत्तर प्रश्न सं० 2 के उत्तर से स्वतः स्पष्ट हो जाता है।
5. पॉवर ग्रिड द्वारा स्वामित्व का निर्धारण नहीं किया जाता है यह कार्य तहसील द्वारा किया गया है। अतः एन०ओ०सी० के सन्दर्भ में पॉवर ग्रिड कार्यवाही नहीं करता।
6. आपके द्वारा इस सम्बन्ध में जब भी इस कार्यालय को प्रार्थना पत्र दिए गए तब-तब उन प्रार्थना पत्रों से संदर्भित जानकारी प्रदान की गयी है।

सूचनार्थ प्रेषित,

(S. Shankar)
6/11/2014

भक्तिय,
(हिमांशु गुप्ता)
6/11/2014
मुख्य प्रबंधक कोटेश्वर